

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10 / 16

दिनांक 31.07.2018

आदेश

निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक हित में प्रस्तावित किये जाते हैं:-

क्रमांक	नाम सनिअ	कहाँ से	कहाँ को	विवर
1.	श्री उमाशंकर खण्डेलवाल	सनिअ, सीकर	विशिष्ट लोक अभियोजक, जाली नोट प्रकरण, जयपुर	श्री सिंची के स्थान पर
2.	श्री हेमन्त कुगार सिंधी	विशिष्ट लोक अभियोजक, जाली नोट प्रकरण, जयपुर	सनिअ, टोंक	रिक्त पद
3.	श्री भगवत सिंह	अपर लोक अभियोजक, सं0 2 सीकर	सनिअ, सीकर	श्री खण्डेलवाल के स्थान पर
4.	श्री अब्दुल रहमान	सनिअ, एसीबी न्यायालय सं0 3 जयपुर	सनिअ, बूँदी	रिक्त पद
5.	श्री अब्दुल समद चिश्ती	सनिअ, पीसीपीएनडीटी, स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	सनिअ, एसीबी सं0 3 जयपुर	श्री रहमान के स्थान पर
6.	श्री कमल किशोर शर्मा	सनिअ, बाडमेर	सनिअ, नागौर	श्री दाधीच के स्थान पर
7.	श्री हुकुम सिंह गहलोत	विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/ एसटी न्यायालय जोधपुर	सनिअ, बाडमेर	श्री शर्मा के स्थान पर
8.	श्री जोराराम	सनिअ, जोधपुर	विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/ एसटी जोधपुर	श्री गहलोत के स्थान पर
9.	श्री दिनेश तिवाडी	अपर लोक अभियोजक, एडीजे कोट, व्यावर जिला अजमेर	सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	श्री जोराराम के स्थान पर
10.	श्री महेश दाधीच	सनिअ, नागौर	लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर पद के विरुद्ध	रिक्त पद
11.	श्री आसनदास मूलवानी	सनिअ, सवाईमाधोपुर	सनिअ, पीसीपीएनडीटी, स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	श्री चिश्ती के स्थान पर
12.	श्री विनोद कुमार शर्मा	सनिअ, विशेष न्यायालय बम काण्ड जयपुर	सनिअ, मुख्यालय अभियोजन निदेशालय जयपुर	श्री भारद्वाज के स्थान पर
13.	श्री अशोक कुमार भारद्वाज	सनिअ, मुख्यालय अभियोजन निदेशालय जयपुर	सनिअ, विशेष न्यायालय बम काण्ड जयपुर	श्री शर्मा के स्थान पर
14.	श्री रामकेश मीणा	सनिअ, कोटा	सनिअ, सवाईमाधोपुर	श्री मूलवानी के स्थान पर
15.	श्री श्रीकान्त रिंह	अपर लोक अभियोजक, रामगंजगण्डी जिला कोटा	सनिअ, बौरा	श्री जौहरी के स्थान पर
16.	श्री राजकुगार जौहरी	सनिअ, बौरा	सनिअ, कोटा	श्री मीणा के स्थान पर

क्र.सं. 4, 6, 9, 11, 14 व 16 स्थानान्तरण स्वेच्छिक हैं। नियमानुसार इन्हें यात्रा भता एवं अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा।


(रमेश कुमार शर्मा) 31/7/18
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
- महानिदेशक, पुलिस/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
- शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- सम्बन्धित जिला कलक्टर।
- निदेशक अभियोजन को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- सम्बन्धित उप/ सहायक निदेशक अभियोजन।
- सम्बन्धित अधिकारी।/ निजी पत्रावली।/ रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह 31/7/18